Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडी /टीए/6810/2001/भरतपुर

1 मंगतू

2 प्रेम

3 संतोष

पुत्रगण किरोडी जाति जाट निवासी ग्राम कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. प्रभू पुत्र चिरंजी जाति जाट निवासी ग्राम कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

2. दीपचंद पुत्र गंगाधर जाति जाट निवासी ग्राम कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

3 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ

श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थित

श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश ।

निर्णय

दिनांक 20.3.18

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-8-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिया मृतक मु0 महाराजी की ओर से एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत सहायक कलेक्टर, नदबई के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 1138, 1131 हाल नंबर 1479 रकबा 8 बीघा, 1470 रकबा 3 बीघा तथा साबिक खसरा नंबर 1164 के हाल नंबर 1513 रकबा 10 बीघा बने है। वादिया एवं प्रतिवादिया की पुश्तैनी भूमि है । वादिया का पति चिरंजी संवत 2012 से ही आराजी पर खुदकाश्त है किन्तु आराजी पर प्रतिवादी का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है । अतः दावा वादिया डिक्री कर आराजी मुतनाजा का उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी के अंकन कलमजन किया जावे । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 6-11-98 से अपीलाण्ट को बिना सुने ही वाद डिक्री किया जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27-8-2001 के द्वारा निरस्त कर दिया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27-8-2001 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6-11-98 में यह माना है कि नकल जमाबन्दी संवत 2043 लगायत 2046 व नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमबान्दी संवत 2012 से 2015 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2012 लगायत 2015, नकल जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 पेश की है तथा वादिनी की मृत्यु होने के पश्चात उसके वारिस प्रभु ने नकल प्रमाण पत्र व नकल वसीयतनामा दिनांक 14-6-82 पेश किया । तनकियात, दावे व जबावदावे की पुष्टि में रिकार्ड पेश होने के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण ने कोई बहस नही की इसलिए दावा का निर्णय मेरिट पर किया गया । मुताबिक रिकार्ड विवादग्रस्त आराजी वादिनी के पति व नाना की खातेदारी की आराजी थी प्रतिवादीगण का नाम नही है जिससे

प्रतिवादीगण का कथन गलत साबित होता है तथा वादीका कथन दस्तावेजात के अनुसार सही सिद्ध होता है । दोनों पक्षों को सुनकर वादी का वाद डिक्री किया गया ।

उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहां किए जाने पर उन्होने अपने आदेश दिनांक 27-8-01 में यह माना है कि पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2012 से 15 के रेकार्ड में वादी के नाना चिंरजी का 1/3 हिस्सा दर्ज है । अतः तहत न्यायालय का रिकार्ड के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह उचित प्रतीत होना मानते हुए अपीलाण्ट की अपील खारिज कर दी

.

3. रेस्पोडेण्ट के अनुपस्थित रहने पर अपीलाण्ट के अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का विवेचन नहीं किया है एवं उन्हें बिना सुने ही निर्णय पारित किया है । राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय ने भी उनके द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को बिना देखे ही उनकी अपील को खारिज किया है जिससे दोनों ही निर्णय निरस्त योग्य है । अतःअपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी.2011(1) पेज 237, आर.आर.टी.2009(1) पेज 449 न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए ।

5. हमने अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

6. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सभी पक्षकारों को सुनकर के निर्णय किया जाना चाहिए किन्तु जबावदावा प्रस्तुत किया जा चुका है एवं आवश्यक दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं तो मेरिट के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायसंगत माना जावेगा । अपीलाण्ट ने अपनी अपील में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि तहत न्यायालयों के निर्णय किस दस्तावेज आधार पर सही नहीं है । उन्हें अपने समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए । बिना दस्तावेजात के मौखिक साक्ष्य के आधार पर उनके कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । यदि उनके पास आवश्यक दस्तावेजात थे तो उन्हें रिकार्ड पर लाना चाहिए था । तहत न्यायालय ने तनकियात बनाकर उनका विवेचन कर निर्णय दिया है जिस पर बिना किसी दस्तावेजात के अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता । पुराने रिकार्ड में रेस्पोडेण्ट के नाना चिरंजी का नाम अंकित है । जमाबन्दी संवत 1982 के रेकार्ड में नाम अंकित है तो फिर ऐसे दस्तावेजों पर कैसे अविश्वास किया जा सकता है । यदि उन्हें अपील को अपने पक्ष में सिद्ध करना था तो आवश्यक रेकार्ड भी पेश करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में इस अपील में कोई सार नहीं है ।

7. फलस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिरंजी लाल दायमा) (मोहन लाल नेहरा)

सदस्य सदस्य